1728.

9380/15

5-1 of 8

## भारतीय गेर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

15000

पन्द्रह



Hrzitia dudi

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

15000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052137

A 052137

## बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किरम दस्तावेज

भूमि का प्रकार

मौजा / ग्राम

सम्पत्ति का विवरण

यूनिक कोड मापन की इकाई विक्रीत क्षेत्रफल - बैनामा

- कृषि भूमि

मौजा- ककुआ,
 तहसील व जिला आगरा।

 कृषि भूमि खाता सं0 00578
 (1427–1432 फसली) खसरा सं0
 728 क्षेत्रफल 0.1050 हेक्टेयर में से 0.0467 हेक्टेयर

- 1246210728000012

- हेक्टेयर


- 0.0467 हेक्टेयर

230PM











A 052136

-2-

A 052136

पेड़ों का मूल्यांकन कुंआ, बोरिंग अन्य

सडक की स्थिति

सरकारी मालियत

प्रतिफल की धनराशि सर्किल रेट

स्टाम्प

– पेड़ नहीं है।

– नहीं है।

लिंक मार्ग पर स्थित कृषि भूमि

7,00,500 / - रूपया

— 28,02,000 / — रूपया

- 1,50,00,000 / - रू० प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ

संख्या ४७ पर अंकित है।

– 1,96 200 / – रूपये

REOTH



1 96 1 W नं0 1 में शामिल हैं।


ING- KI IMAR


MULCESH KUMAR CASHIER Treasury, AGRA

astean A









A 052135

-3-

A 052135

अन्य विवरण — विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी लिंक मार्ग के सहारे स्थित कृषि भूमि है। आबादी के सहारे स्थित नहीं है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है तथा विक्रेता अनुसूचित जाति जाटव का सदस्य है। विक्रेता ने अपनी भूमि का विक्रय द्वितीय पक्ष को करने हेतु उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी प्रशासन अगरा के कार्यालय से वाद सं0 202414600766030301 दिनांक 22.01.2025 द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। तथा क्रेता उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है।







1000

यह स्टाम्भ धनराति छ०. 1962 भू नं 01 में शामिल है।

MILICOTH KLIMAR
CASHIER
TRESSURY, AGRA




BENERO A










आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो० नं० 9458626266 पैन नं.

.....द्वितीय पक्षा / क्रेता

230Pm









ला प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052133

-5-

A 052183


प्रलेख -

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी बाकै मौजा ककुआ तहसील व जिला–आगर के कृषि भूमि खाता सं0 00578 (1427—1432 फसली) खसरा सं0 728 क्षेत्रफल 0.1050 हेक्टेयर में से 0.0467 हेक्टेयर लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427-1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक कांबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता हैं जिसमें सिवाय विक्रेता प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। जिसकी वावत विक्रेता ने शपथ पत्र भी द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उक्त खाते की भूमि में उसका 0.0467 हेक्टेयर हिस्सा है जिसको वह द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय करने को पूर्ण रूप से सहमत है उक्त विक्रय की वावत् उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। उक्त आराजी प्रथम पक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

2501 M







A 052132

-6-

A 052132

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ०प्र0राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनशिप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत हैं। जिसमें विक्रेता का पूरा—पूरा लाभ है।

250 PM



Bril


JOSEP


यह स्टाम्प धनर शिक्तः •ाँ० १ में शानिल है।

1962 my

MUKESH KUMAR CASHIER THESSUTY AGRA

SENSão A





A 052131

-7-

A 052131

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाब किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 28,02,000/— रूपया में आगरा विकास प्राधिकरणे, आगरा पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कर्तई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रूपया मु0 28,02,000/— रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि —

230PM




and


MU CESH KUMAR CASHLER TREGOURY AGEN

A DESTROY









A 052130


-8-

क्र. सं.		चैक / डीoडीo RTGS/UPI सं0		दिनांक	बैंक का नाम
1.	28,02,000/-	501955	0	5-03-25	PCECE
कुल	28,02,000 / -				

(नोट- विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी०डी०एस० काटने की आवश्यकता नहीं है।)



MOTOR STATE AND STATE OF STATE A CASHELL THE COUNTY AND A CASH COUNTY AND A CAS OSISSO A



A 052129

-9-

A 052129

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली हैं। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

अतः कब्जा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्षं ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष

250PM



Drd.



A 052128

-10-

A 052128

नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमित प्रदान करता हैं। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

2708 M




वह स्टाब्ध धनराशि हर का व्यवस्थित र प्राप्ति । विश्व ।

Me SHIKUWAR CASHIER TWOSUN, AGRA

acroan A





A 052127

-11-

A 052127

यह कि अगर भविष्य में कोई कौमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की कोई उज्र व

2301 m



grel-


00QE3

यह स्टाम्प धनदि का कि प्रिक्त के प्राप्तिक है।

M MESHICIMAR
ASHIER
TREISURY AGRA

TRIPRIE A





लर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052126

-12-


A 052126

एतराज व आपित्त नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है एवं वचन देते है कि उनके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है और इस सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रवुनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगे तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह

23 मिल



Ort-





A 052125

-13-

A 052125

आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय व्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देंगे। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय व्याज व हर्जे, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।



Or-1



AK 976732

-15-

महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र० के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

250 Tim



आवेदन सं०: 202500766017029

नं0 1 में शानिल

(सरकारी)

विक्रय पत्र

वर्ष: 2025

बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 2388 Treasury AGRA .

प्रतिफल- 2802000 स्टाम्प शुल्क- 196200 बाजारी मूल्य - 2802000 पंजीकरण शुल्क - 28020 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 28120

श्री आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि, सहप्रभारी भूअर्जन व्यवसाय : अन्य निवासी: आगरा

श्री, आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/03/2025 एवं 05:03:03 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि






रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र॰ महेश गोस्वामी **॰** उप निबंधक :सदर चतुर्थ आगरा 12/03/2025

> 000 निबंधक लिपिक 12/03/2025





AK 976733

-14-

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी।

250PM



Ort

यह स्टाम्ब घनराति रू०... नं**० १ मे** शामिल है ।

ML SHEEMAR CASHER Treasury AGRA



GM 303589

-16-

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक .03.2025 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने—अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप

ZOTTM



आवेदन सं०: 202500766017029

वह स्टाल क

1962 m

बही स०: ।

रिजस्ट्रेशन स०: 2388

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रूप्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री वीरी सिंह

निवासी: ककुंआ, आगरा

2201/10



व्यवसाय: अन्य

क्रेताः ।

श्री आगरा विकास प्राधिकरण, के द्वारा विमल कुमार, संहप्रभारी भूअर्जन

निवासी: आगरा

व्यवसाय: अन्य

Orl





ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

18mg





श्री रवि बघेल, पुत्र श्री नन्द कि शोर

.निवासी: 17/166 टीला माईथान: आगरा

व्यवसाय: अन्य

and denn



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है । टिप्पणी : प्र॰ महेश गोस्वामी ॰ उप निबंधक : सदर चतुर्थ आगरा 12/03/2025

००० निबंधक लिपिक आगरा 12/03/2025



-17-

GM 303588

पक्षों के दिये गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

24 of Lu



गवाह—1 विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि० ८/153 ई—10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो०नं० 7895495945



गवाह— 2 रवि बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि0 17/166 टीला माईथान, आगरा मो०नं० 8535056934

ala den m

1962 n

आवेदन सं०: 202500766017029

बही संख्या । जिल्द संख्या 7581 के पृष्ठ 365 से 400 तक क्रमांक 2388 .पर दिनॉंक 12/03/2028 को रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्तीक्षर

प्र॰ महेश गोस्वामी ॰ उप निबंधक : सदर चतु । आगरा 12/03/2025

